न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 खुशाल
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 63/2023

बलदानसिंह निवासी बी 211, एच के एम नगर, अलवर
बनाम
लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।
— —
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 21.06.2023

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 28.03.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 63/2023 पर दिनांक 28.03.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाटक/2023/ 1206—07 दिनांक 28.03.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/23/397 दिनांक 01.04.2023 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी बलवानसिंह निवासी बी 211, एच के एम नगर, अलवर का आवेदन दिनांक 02.02.2023 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/23/38 दिनांक 07.02.2023 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया। उक्त कम मे प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने पत्र कमांक 167 दिनांक 20.02.2023 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि बिन्दू सं0 1 की सूचना प्रश्नात्मक सूचना है एवं बिन्दू संख्या 2 व 3 की सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(ञ) के अन्तर्गत वांछित सूचना व्यक्तिगत सूचना एवं लोकहित सिद्व नही होने के कारण एवं तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण देय नही है। बिन्दू सं0 4 की सूचना एक कर्मचारी कितने वर्ष तक एक स्थान पर पदस्थापित रह सकता है, के क्या नियम है। नियम की प्रमाणित प्रति चाही गई है। कृपया नियमों के संबंध मे सूचना कार्मिक विभाग से प्राप्त करें। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/23/397 दिनांक 01.04.2023 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी बलवानसिंह निवासी बी 211, एच के एम नगर, अलवर का आवेदन दिनांक 02.02.2023 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/23/38 दिनांक 07.02.2023 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

(11)

को अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया। उक्त क्रम मे प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने पत्र क्रमांक 167 दिनांक 20.02.2023 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि बिन्दू सं0 1 की सूचना प्रश्नात्मक सूचना है एवं बिन्दू संख्या 2 व 3 की सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(ञ) के अन्तर्गत वांछित सूचना व्यक्तिगत सूचना एवं लोकहित सिद्व नही होने के कारण एवं तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण देय नही है। बिन्दू सं0 4 की सूचना एक कर्मचारी कितने वर्ष तक एक स्थान पर पदस्थापित रह सकता है, के क्या नियम है। नियम की प्रमाणित प्रति चाही गई है। कृपया नियमों के संबंध मे सूचना कार्मिक विभाग से प्राप्त करें। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 खुशाल)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं